के राम्या

बनाम

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लि. और एएनआर।

(सिविल अपील नं0 7046 का 2022) सितंबर 30,2022

(सूर्याकांत और वी। रामसुब्रमणियन, जेजे।)

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 एस। 168–मोटर दुर्घटना–मुआवजे की मात्रा–आय की हानि का निर्धारण–आय की हानि–काल्पनिक आय–आयकर रिटर्न और परीक्षण विवरण पर विश्वसनीयता–एक मोटर दुर्घटना में एक व्यवसायी की मृत्यु–आयकर रिटर्न और अन्य वित्तीय दस्तावेजों पर भरोसा करते हुए मृतक के आश्रितों–अपीलकर्ताओं को मुआवजे का अनुदान–बीमा कंपनी द्वारा अपील में, मुआवजा इस आधार पर कम किया गया कि न्यायाधिकरण ने आय के नुकसान की गणना में गलती कर दिया–उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मृतक की आय में पूंजीगत आश्वासनों पर रिटर्न शामिल थे, जो उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित किए गए थे, जो उनसे प्राप्त लाभों का उपभोग करते रहे, पूंजीगत संपत्ति से प्राप्त आय को मृतक के व्यक्तिगत कौशल से अर्जित आय नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उसके द्वारा कोई वास्तविक योगदान नहीं था, मृतक के आश्रितों को आय का कोई नुकसान नहीं हुआ और इसके बजाय उनके शैक्षणिक योग्यता के अनुसार उनके काल्पनिक वेतन को 25,000/– प्रति माह निर्धारित करके मुआवजे की गणना की गई। अपील पर अभिनिर्धारितः मुआवजा उपयुक्त, उचित और न्यायसंगत होना चाहिए– मुआवजा की मात्रा का निर्धारण उदार होना चाहिए न कि किफायती– आयकर रिटर्न और परीक्षण विवरण जैसे दस्तावेज मृतक की आय का निर्धारण करने के लिए विश्वसनीय सबूत हैं– व्यावसायिक उपक्रमों से पूरी राशि को आय के रूप में माना जाना चाहिए, क्योंकि मृतक अपने बचपन के चरण से व्यवसायों के दिन–प्रतिदिन के प्रशासन में सक्रिय रूप से शामिल थे–गृह संपत्ति और कृषि भूमि से आय के तहत गणना मुख्य रूप से प्रबंधन क्षमता या दक्षता के नुकसान से उत्पन्न निर्भरता के नुकसान से संबंधित है–प्रबंधकीय कौशल का मूल्य अन्य विचारों के साथ निर्धारित किया जाना है–इसके मद्देनजर, मुआवजा रु. 2,27,12,400/– 7.5% की दर से ब्याज प्रतिवर्ष के साथ परिवर्तित किया गया।

के राम्या बनाम राष्ट्रीय बीमा कंपनी लि0 और एएनआर।

अपील की अनुमति देते हुए, न्यायालय

अभिनिर्धारित 1.1 मुआवजा उपयुक्त, उचित और न्यायसंगत होना चाहिए। इसके अलावा, मुआवजा का निर्धारण एक तथ्य-निर्भर अभ्यास है जो उदार होना चाहिए न कि किफायती। इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि मुआवजा परस्परता एवं सर्वगाही राहत का एक अधिक व्यापक रूप है जिसमें नुकसान के विपरीत एक व्यापक-आधारित दृष्टिकोण शामिल है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत न्यायाधिकरणों को मुआवजे का निर्धारण करने में उचित लचीलापन दिया गया है और वे किसी भी कठोर अंकगणितीय नियमों या सख्त साक्ष्य मानक द्वारा बाध्य नहीं हैं, मामले में विपरीत नुकसान की गणना करने के लिए। (पैरा 11) (246-ए-सी)

1.2 1988 का मोटर वाहन अधिनियम एक लाभकारी और कल्याणकारी कानून है जो किसी व्यक्ति की समकालीन स्थिति के अनुसार मुआवजा प्रदान करता है जो अनिवार्य रूप से भविष्य की सोच की ओर दृष्टिगत है। कपटपूर्ण दायित्व के विपरीत, जो मुख्य रूप से अतीत के लिए बनाने और अपनी मूल स्थिति के लिए एक दावेदार को बहाल करने से संबंधित है, अधिनियम के तहत मुआवजा भविष्य में लोगों के जीवन में स्थिरता और निरंतरता प्रदान करने से संबंधित है। (पैरा 12) (246-डी)

1.3 उच्च न्यायालय ने इस आधार पर रद्द किया कि अर्जित आय पूंजीगत संपत्ति से थी और यह नहीं कहा जा सकता है मृतक के व्यक्तिगत कौशल से अर्जित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप मृतक की शैक्षणिक योग्यता के अनुसार एक काल्पनिक आधार पर मृतक की आय का निर्धारण किया गया। दुर्भाग्य से, इस न्यायालय के निर्णयों के मद्देनजर ऐसा दृष्टिकोण गलत है, जिसमें इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि आयकर रिटर्न हेतु परीक्षण विवरण जैसे दस्तावेज विश्वसनीय प्रमाण हैं मृतक की आय का निर्धारण हेतु (पैरा 14) (247-ए-सी),

1.4 मुआवजे को परिवर्तित किया जाना चाहिए, खासकर यह दिखाने के लिए कोई अतिरिक्त सबूत पेश नहीं किया गया है कि मृतक की आय परीक्षण विवरण में उल्लेखित राशि के विपरीत थी और न ही यह बीमा कंपनी द्वारा लिया गया स्टैंड है कि उक्त रिपोर्ट ने आय को बढ़ाया। (पैरा 14) (247-सी,)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट (2022, 18 एस. सी. आर.)

1.5 यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि परीक्षण विवरण में उल्लेखित आय को दो भागों में विभाजित करना उचित होगा–(ए) व्यावसायिक उपक्रमों और अन्य निवेशों से आय और (बी) गृह संपत्ति और कृषि भूमि से आय। इसके अलावा, यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि उपर्युक्त दो भागों के तहत आय की गणना परीक्षण विवरण के अनुसार सकल मूल्य पर की गई है और इसमें कटौती शामिल है जैसे कि ऋण पर भुगतान किया गया ब्याज और मृतक द्वारा किए गए खर्च। (पैरा 15, (247–ए–सी),

1.6 मात्र तथ्य यह है कि इन व्यवसायों के उपक्रमों में स्वामित्व का हिस्सा मृतक के नाबालिग बच्चों को उनकी मृत्यु से ठीक पहले या उनकी मृत्यु के बाद आश्रितों को हस्तांतरित कर दिया गया था, यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त औचित्य नहीं है कि इन व्यवसायों का लाभ उनके आश्रितों को मिलता है। इसके विपरीत, यह अभिलेख में आया है कि मृतक इन व्यवसायों के दिन–प्रतिदिन के प्रशासन में सक्रिय रूप से शामिल थे, वह बचपन के चरण से, विशेषज्ञता को हासिल कर चुके थे। अपने व्यवसाय को संचालित करने के लिए विशेष प्रशिक्षण लिए थे और यह कि व्यवसाय के परीक्षण विवरण में व्यवसायों से आय के हिस्से को बड़े करीने से चित्रित करती है। इन तथ्यों की आवश्यकता है कि व्यावसायिक उपक्रमों से पूरी राशि को आय के रूप में माना जाता है। इसी तरह, बैंक के हितों और शेष निवेश से अर्जित राशि को भी आय के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। (पैरा 17, 248–बी–डी),

1.7 गृह संपत्ति और कृषि भूमि से आय की गणना के लिए, निर्भरता का नुकसान मुख्य रूप से प्रबंधन क्षमता या दक्षता के नुकसान से उत्पन्न होता है। विवेक के नियम के रूप में, किसी भी व्यक्ति के प्रबंधकीय कौशल की गणना कुल किराये की आय के 10 से 15 प्रतिशत के बीच होनी चाहिए, लेकिन विशिष्ट परिस्थितियों के मद्देनजर स्वीकार्य सीमा को बढ़ाया जा सकता है। इसलिए, उपयुक्त दृष्टिकोण यह है कि किसी भी अन्य तथ्यात्मक विचारों के साथ प्रबंधकीय कौशल के मूल्य को निर्धारित करना है। (पैरा 21), 249–एफ–जी, 250–ए),

1.8 शेष राशि जो हमारे द्वारा काटी गई है, उसमें वह कर शामिल है जिसे प्रणय सेठी के मामले में निर्णय के संदर्भ में काटा जाना है। (पैरा 23), (250–ई),

के राम्या बनाम राष्ट्रीय बीमा कंपनी लि0 और एएनआर

अमृत भानु शाली बनाम राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड, **(2012) 11 एससीसी 738: (2012) 5 एससीआर 207;** कल्पनाराज बनाम तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम, **(2015) 2 एससीसी 764: (2014) 6 एससीआर 577;** सरला वर्मा बनाम डीटीसी **(2009) 5 एससीआर 1098;** राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी, **(2017) 16 एससीसी 680: (2017) 13 एससीआर 100;** यूनाइटेड बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम सतिंदर कौर, **(2021) 11 एससीसी 780–संदर्भित।**

रानी गुप्ता बनाम यूनाइटेड इंडिया बीमा लिमिटेड, **(2009) 13 एससीसी 498: (2009) 5 एससीआर 721;** हेलेन सी रेबेलो बनाम महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम **(1999) 1 एससीसी 90: (1998) 1 पुरक. एससीआर 684;** यूनाइटेड इंडिया बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम पेट्रीसिया जीन महाजन **(2002) 6 एससीसी 281: (2002) 3 एससीआर 1176;** न्यू इंडिया बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम चार्ली **(2005) 10 एससीसी 720: (2005) 2 एससीआर 1173;** राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम इंदिरा श्रीवास्तव **(2008) 2 एससीसी 763: (2007) 13 एससीआर 352;** यादव कुमार बनाम मंडल प्रबंधक, राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड, **(2010) 10 एससीसी 341: (2010) 10 एससीआर 746;** शशिकला बनाम गंगालक्ष्मम्मा, **(2015) 9 एससीसी 150: (2015) 5 एससीआर 1;** हरियाणा राज्य बनाम जसवीर कौर, **(2003) 7 एससीसी 484: (2003) 2 पुरक. एससीआर 245–संदर्भित।**

केस लॉ संदर्भ

(2009) 5 एससीआर 721 निर्दिष्ट	**पैरा 10**
(1998) 1 पूरक. एससीआर 684 निर्दिष्ट	**पैरा 11**
(2002) 3 एससीआर 1176 निर्दिष्ट	**पैरा 11**
(2005) 2 एससीआर 1173 निर्दिष्ट	**पैरा 11**
(2007) 13 एससीआर 352 निर्दिष्ट	**पैरा 11**
(2010) 10 एससीआर 746 निर्दिष्ट	**पैरा 11**
(2015) 5 एससीआर 1 निर्दिष्ट	**पैरा 20**
(2003) 2 पूरक. एससीआर 245 निर्दिष्ट	**पैरा 21**
(2017) 13 एससीआर 100 निर्दिष्ट	**पैरा 9**

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट (2022, 18 एस. सी. आर.)

(2012) 5 एससीआर 207 निर्दिष्ट **पैरा 14**

(2014) 6 एससीआर 577 निर्दिष्ट **पैरा 14**

(2009) 5 एससीआर 1098 निर्दिष्ट **पैरा 24**

(2021) 11 एससीआर 780 निर्दिष्ट **पैरा 24**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील नं0 7046

2022 का।

सीएमए में मदुरै पीठ में मद्रास उच्च न्यायालय के 30.06.2017 के निर्णय और आदेश से। (एमडी) 2013 का नंबर. 279।

के राधाकृष्णन, वरिष्ठ अधिवक्ता, डॉ०. जोसेफ अरस्तू एस, सुश्री नूपुर शर्मा, शोभित द्विवेदी, संजीव कुमार महरा, अपीलकर्ताओं के अधिवक्तागण।

हेतू अरोड़ा सेठी, राहुल जैन, एसपी जैन, सुश्री साक्षी कक्कड़, शक्ति सिंह, उत्तरदाताओं के अधिवक्तागण।

न्यायालय का निर्णय दिया गया था द्वारा

सूर्या कांत, जे.

1 आवेदन स्वीकृति।

2 वर्तमान अपील मद्रास, मदुरै पीठ में उच्च न्यायालय द्वारा पारित 30.06.2017 के निर्णय के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड (उत्तरदाता नंबर 1; इसके बाद, ''बीमा कंपनी'') द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, तिरुचिरापल्ली (इसके बाद, ''न्यायाधीकरण'') द्वारा पारित 06.10.2012 के खिलाफ अपील को मंजूरी दी गई थी और अपीलकर्ताओं को दिए गए मुआवजे को रु 4,29,37,700/– से रु 57,90,000/– ब्याज सहित कर दिया गया था। मुआवजे की मात्रा के निर्धारण के संबंध में कानून के मुद्दे पर विचार करने से पहले तथ्यात्मक आव्यूह की चर्चा नीचे की गई है, जिसके संबंध में हमारे पास मामला विचाराधीन हेतु है।

<u>ए. तथ्य</u>

3. एस. कुमरेशन (इसके बाद, ''मृतक'') तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली का निवासी था। उस मनहूस दिन, शाम को लगभग 4 बजे, वह एक लांसर कार जिसका पंजीकरण संख्या टीएन 45 एस 9199 था और जो एक एम्बेसडर कार जिसका पंजीकरण संख्या टीएन 59 ई 9288 के साथ सेथाथुपट्टी और सोरियामपट्टी के बीच सड़क दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटनाग्रस्त हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहनों के चालक किसी भी चिकित्सीय सहायता पहुँचने के पहले ही दम तोड़ चुके थे।

के राम्या बनाम राष्ट्रीय बीमा कंपनी लि0 और एएनआर।

सूर्या कांत, जे.,

टक्कर के एकमात्र बचे एम्बेसडर कार पर सवार लोग थे, जो चमत्कारिक रूप से मौत से बच तो गए थे लेकिन कई चोटों से जुझ रहे थे।

4. मृतक मृत्यु के समय 31 वर्ष से अधिक आयु का था और एक आयकर निर्धारिती था। वह एक व्यवसायी थे जिनके आभूषण, कपड़ा, निर्यात और परिवहन जैसे क्षेत्रों में विविध हित थे। इसके अलावा, उन्होंने अपनी कृषि भूमि से आय भी प्राप्त की और अचल संपत्ति को पट्टे पर दिया। अपने निधन के समय, वह अपने पीछे एक विधवा, दो नाबालिग बच्चों और माता–पिता को छोड़ गए, जिन्हें उन पर निर्भर बताया गया था। यह ध्यान दिया जाना है कि इन आश्रितों में, मृतक के पिता का निधन उच्च न्यायालय के समक्ष कार्रवाई के दौरान हो गया।

5. मृतक के आश्रितों ने 7,00,00,000/– रूपये के लिए अगस्त 2004 में दावा याचिका दायर की। यह आरोप लगाते हुए कि अन्य बातों के साथ 10.06.2004 के उपर्युक्त दुर्घटना में लगी चोटों के परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई, जो कि एम्बेसडर कार के उतावलेपन एवं लापरवाही से ड्राइविंग के कारण हुई थी, जो बीमा किया हुआ था। न्यायाधीकरण के समक्ष बीमा कंपनी ने यह रुख अपनाया कि मृतक दुर्घटना के लिए जिम्मेदार था और मृतक द्वारा मांगी गई क्षतिपूर्ति अत्यधिक है। यह ध्यान देने योग्य है कि दुर्घटना में बचे एम्बेसडर कार के घायल होने वालों ने भी अपनी दावा याचिका दायर की।

6. अपने फैसले तक पहुंचने में, न्यायाधीकरण ने उपरोक्त घायल होने वालों के बयानों पर भरोसा करते हुए निष्कर्ष निकाला कि वह एम्बेसडर कार का चालक था जो दुर्घटना के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार था और इसलिए उसे दुर्घटना के लिए दायित्व माना गया था, जिसे अंत्तः बीमा कंपनी द्वारा वहन करना था, नतीजतन, मृतक के आश्रितों की दावा याचिका को आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी, और रु 4,29,37,700/– का मुआवजा 7.5% प्रति वर्ष ब्याज की दर के साथ दिया गया था। न्यायाधीकरण ने मृतक के आयकर रिटर्न और अन्य वित्तीय दस्तावेजों पर भरोसा किया, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेखा परीक्षक और मृतक की पत्नी (अपीलकर्ता सं0 1) के गवाही से समर्थित था।

7. पीड़ित बीमा कंपनी ने अपनी अपील दायर की जो 30.06.2017 को दिए गए फैसले के माध्यम से तय की गई थी। उच्च न्यायालय ने हालांकि न्यायाधीकरण के तर्क के साथ कुल समझौते में यह पाया कि दुर्घटना के लिए एम्बेसडर कार चालक पूरी तरह से उत्तरदायी था, मुआवजे की गणना के संबंध में न्यायाधीकरण के दृष्टिकोण से असहमत था, मुख्य रूप से ''आय के नुकसान'' के तहत इस बात

पर जोर दिया कि अपनी मृत्यु से पहले मृतक ने अपने नाबालिग बच्चों के पक्ष में कुछ साझेदारी फर्मों में अपनी लाभ हस्तांतरित कर दिया था। इसके अलावा, इसने इस बात पर प्रकाश डाला कि लगभग मृतक की आय में उनके पूंजीगत आश्वासन पर प्राप्त रिटर्न शामिल थे। उनकी मृत्यु के बाद भी, उन्हीं संपत्तियों को उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित कर दिया गया, जो उनसे प्राप्त लाभों का फायदा लेते रहे। लागू किए गए फैसले का तर्क इस आधार पर टिका था कि पूंजीगत संपत्ति से प्राप्त आय मृतक के व्यक्तिगत कौशल से अर्जित आय नहीं है क्योंकि उसके द्वारा कोई वास्तविक योगदान नहीं था। नतीजतन, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि मृतक के आश्रितों को आय का कोई नुकसान नहीं हुआ और इसके बजाय उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार एक काल्पनिक आधार पर 25,000/– रुपये प्रति माह का वेतन तय करके मुआवजे की गणना की। इसके अलावा, इसने अन्य पारंपरिक प्रमुखों के तहत मामूली बदलाव भी किए और तदनुसार, मुआवजे को घटाकर 57,90,000/– रुपये 7.5% प्रति वर्ष ब्याज की दर के साथ कर दिया गया।

ख। दलील

8. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है और अभिलेख पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दोनों पक्षों ने बीमा कंपनी को मुआवजे का भुगतान करने के लिए बीमा कंपनी के दायित्व से संबंधित देयता पर विरोध नहीं किया है। एकमात्र सीमित प्रश्न जो वर्तमान कार्यवाही में हमारे सामने विवादित है कि अपीलकर्ताओं को दिए जाने वाले मुआवजे की मात्रा से संबंधित है।

9. श्री के राधाकृष्णन अपीलकर्ताओं के वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि–सबसे पहले, उच्च न्यायालय ने निर्णय के माध्यम से काल्पनिक आय के आधार पर मुआवजे की गणना करके गलती किया है, इस तथ्य के बावजूद कि अपीलकर्ताओं ने मृतक द्वारा अर्जित आय का पता लगाने के लिए विशिष्ट साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि न्यायाधीकरण ने 'आय के नुकसान' के तहत मुआवजा राशि की गणना करने के लिए आयकर रिटर्न और मृतक की परीक्षण विवरण पर सही भरोसा किया है और प्रस्तुत प्रासंगिक गवाहों ने उसका समर्थन किया है। दूसरे, उन्होंने तर्क दिया कि मृतक कई व्यवसाय चलाने में सक्रिय रूप से शामिल थे और यहां तक कि सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष पाठ्यक्रम भी किए थे। इसलिए, उच्च न्यायालय ने अन्यायपूर्ण निष्कर्ष निकाला है कि मृतक ने अपने व्यक्तिगत कौशल से कोई आय अर्जित नहीं की है, तीसरा, यह तर्क दिया जाता है कि किसी व्यक्ति की आय की गणना करते समय केवल कटौती की अनुमति है, जैसा कि संवैधानिक पीठ द्वारा प्रतिपादित **राष्ट्रीय बीमा कंपनी लि0 बनाम प्रणय सेट्ठी** के निर्णय के अनुसार है।

के राम्या बनाम राष्ट्रीय बीमा कंपनी लि। और एएनआर।

(सूर्या कांत, जे.)

अंत में, उन्होंने तर्क दिया कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (इसके बाद, 'अधिनियम') की धारा 168 के तहत मुआवजे की गणना न्यायसंगत होनी चाहिए और उसी को निष्पक्षता, तर्कशीलता और समानता के मानक से संबंधित होना चाहिए। प्रणय सेठी में निर्णय के अनुसार।

10. इसके विपरीत, बीमा कंपनी के लिए विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य के मद्देनजर मुआवजे को सही तरीके से कम कर दिया है कि आयकर रिटर्न और परीक्षण विवरण इस बात पर प्रकाश डालती है कि मृतक की आय अनिवार्य रूप से उसकी पूंजीगत संपत्ति से रिटर्न का गठन करती है जो विधिवत रूप से मृतक के आश्रितों को वसीयत की गई है। यह तर्क दिया गया था कि आय का नुकसान केवल उस हिस्से के बराबर होना चाहिए जो मृतक के कौशल से मेल खाता है, जिसके परिणामस्वरूप यहां वर्तमान मामले में अपीलकर्ताओं को आय का कोई नुकसान नहीं हुआ है। उच्च न्यायालय ने 'आय की हानि' के तहत मुआवजे के निर्धारण के आधार के रूप में सही काल्पनिक आय को लिया है। विद्वान अधिवक्ता ने रानी गुप्ता बनाम यूनाइटेड इंडिया बीमा लिमिटेड में इस अदालत के फैसले पर पर्याप्त निर्भरता रखी है 'इस तर्क को आगे बढ़ाने के लिए कि व्यवसाय में लोगों की आकस्मिक मृत्यु के मामले में, आय के नुकसान के लिए वास्तविक निर्धारण मृतक के अंतर्विरोध का पता लगाने पर निर्भर करता है। व्यवसाय चलाने में योगदान और वही एक तथ्यात्मक जांच है जो प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर भिन्न होती है।

सी। विश्लेषण

सी। 1 न्यायसंगत मुआवजे का निर्धारण सामाजिक कल्याण विधान के तहत

11. शुरुआत में, अधिनियम की धारा 168 के तहत (सिर्फ) मुआवजे की अवधारणा को दोहराना उचित है। यह एक सुलझा हुआ प्रस्ताव है, अब 'प्रणय सेठी में संविधान पीठ द्वारा प्रस्तुत एक सहित' फैसलों के एक क्षेत्र के माध्यम से कि मुआवजा उचित न्यायसंगत होना चाहिए।

---

1 राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी (2017) 16 एससीसी 680, पैरा 59.3।

2 सहमत पारा 55

3 रानी गुप्ता बनाम यूनाइटेड इंडिया बीमा लिमिटेड (2009) 13 एससीसी 498, पैरा 24।

4 हेलेन सी. रेबेलो बनाम महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (1999) 1 एससीसी 90; यूनाइटेड इंडिया बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम पेट्रीसिया जीन महाजन (2002) 6 एससीसी 281; न्यू इंडिया बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम चार्ली (2005) 10 एससीसी 720; राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम इंदिरा श्रीवास्तव (2008) 2 एससीसी 763।

5 प्रणय सेठी (एन 1), पैरा 55।

उचित और न्यायसंगत। इसके अलावा, मुआवजा का निर्धारण एक तथ्य-निर्भर अभ्यास है जो उदार होना चाहिए न कि किफायती। इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि मुआवजा विस्तृत राहत का एक अधिक व्यापक रूप है जिसमें यादव कुमार बनाम मंडल प्रबंधक, राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड में इस अदालत द्वारा उल्लिखित नुकसान के विपरीत एक व्यापक-आधारित दृष्टिकोण शामिल है। उपर्युक्त मामलों में चर्चा इस बात पर प्रकाश डालती है कि अधिनियम के तहत न्यायाधिकरणों को मुआवजे से संबंधित उचित लचीलापन दिया गया है और न्यायाधीकरण 'सिर्फ' मुआवजे को कम करना और नुकसान के मामले में विपरीत नुकसान की गणना करने के लिए किसी भी कठोर अंकगणितीय नियमों या सख्त स्पष्ट मानकों से बाध्य नहीं हैं। इसलिए, अपीलीय न्यायालयों द्वारा किसी भी हस्तक्षेप को केवल तभी अनुमति दी जानी चाहिए जब मुआवजा 'अत्यधिक' या 'मनमाना' हो।

12. इसके अलावा, 1988 का मोटर वाहन अधिनियम एक लाभकारी और कल्याणकारी कानून है ''जो किसी व्यक्ति की समकालीन स्थिति के अनुसार मुआवजा प्रदान करना चाहता है जो अनिवार्य रूप से भविष्य की सोच की ओर दृष्टिगत है।'' उत्पीड़ित दायित्व के विपरीत, जो मुख्य रूप से अतीत के लिए बनाने और अपनी मूल स्थिति के लिए एक दावेदार को बहाल करने से संबंधित है, अधिनियम के तहत मुआवजा भविष्य में लोगों के जीवन में स्थिरता और निरंतरता प्रदान करने से संबंधित है। उपरोक्त सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए पृष्ठ भूमि में हम अब हाथ में प्राप्त तथ्यों पर चलते हैं।

सी. 2 आयकर रिटर्न पर निर्भरता और परीक्षण विवरण के आलोक में 'आय का नुकसान' को निश्चित करना।

13. वर्तमान मामले में मृतक एक व्यवसायी था और न्यायाधीकरण के समक्ष कार्यवाही के दौरान, अपीलकर्ताओं ने संबंधित आयकर रिटर्न, परीक्षण विवरण और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों को प्रस्तुत किया, जो कि मृतक के आकस्मिक निधन से वाणिज्यिक उपक्रमों से संबंधित आय के नुकसान को साबित करने के लिए था। न्यायाधीकरण ने उसी पर भरोसा किया और तीन पूर्व वित्तीय वर्षों (वित्त वर्ष 2000-2001, वित्त वर्ष 2001-2002 और वित्त वर्ष 2002-2003) में दर्ज आय का औसत लेकर आय की गणना की, 'आय की हानि' के तहत मुआवजे का निर्धारण करने के लिए।

---

6 यादव कुमार बनाम मंडल प्रबंधक, राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड (2010) 10 एससीसी 341, पैरा 17।

7 निंगम्मा बनाम यूनाइटेड इंडिया बीमा कंपनी लिमिटेड (2009) 13 एससीसी 710, पैरा 34।

8 पीटर केन, अतिवा के दुर्घटनाएं, मुआवजा और कानून (7 संस्करण, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय प्रेस 2006) 411-412।

9 सहमत

के राम्या बनाम राष्ट्रीय बीमा कंपनी लि0 और एएनआर।

(सूर्या कांत, जे.,)

14. इसके विपरीत, उच्च न्यायालय ने इस आधार पर निर्णय रद्द किया कि अर्जित आय पूंजीगत संपत्ति से बाहर थी और यह नहीं कहा जा सकता है कि मृतक के व्यक्तिगत कौशल से अर्जित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार एक काल्पनिक आधार पर मृतक की आय का निर्धारण किया गया। दुर्भाग्य से, इस तरह का दृष्टिकोण, हमारी राय में, **अमृत भानु शाली बनाम राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड और कल्पनाराज बनाम तमिलनाडु राज्य निगम** में इस अदालत के फैसलों के मद्देनजर गलत है, जिसमें इस अदालत ने माना है कि आयकर रिटर्न और परीक्षण विवरण जैसे दस्तावेज मृतक की आय का निर्धारण करने के लिए विश्वसनीय सबूत हैं। इसलिए, हम मुआवजे को संशोधित करने के लिए बाध्य हैं, खासकर जब यह दिखाने के लिए कोई अतिरिक्त सबूत पेश नहीं किया गया है कि मृतक की आय परीक्षण विवरण में उल्लिखित राशि के विपरीत थी और न ही यह बीमा कंपनी द्वारा लिया गया आधार है कि उक्त रिपोर्ट ने आय को बढ़ाया।

15. इस स्तर पर, हमारे विश्लेषण को सुविधाजनक बनाने के लिए, परीक्षण विवरण में उल्लिखित आय को दो भागों में विभाजित करना उचित होगा–(ए) व्यावसायिक उपक्रमों और अन्य निवेशों से आय और (बी) गृह–संपत्ति और कृषि भूमि से आय। इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि ये परीक्षण विवरण केवल उन राशियों को प्रदर्शित करती हैं जो विशेष रूप से व्यवसायों में मृतक द्वारा रखे गए शेयरों और ब्याज से उपजी हैं और यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें व्यवसायों के पूरे कारोबार को मृतक के आय के रूप में दर्शाया गया हो। इसके अलावा, यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि उपर्युक्त दो भागों के तहत आय की गणना परीक्षण विवरण के अनुसार सकल मूल्य पर की गई है और इसमें कटौती शामिल है जैसे कि ऋण पर भुगतान किया गया ब्याज और मृतक द्वारा किए गए खर्च।

सी. 2.1–व्यावसायिक उद्यमों और अन्य निवेशों से आय का उपचार

16. परीक्षण विवरण और अन्य दस्तावेजों के अनुसार, इस भाग के तहत आय मृतक के कई व्यावसायिक उपक्रमों से अर्जित राशि के लिए जिम्मेदार थी, जिसमें साझेदारी फर्म और अन्य निवेश जैसे शेयर और बैंक हित शामिल थे। अभिलेख पर दस्तावेजों के अवलोकन पर, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि लगभग सभी व्यावसायिक उपक्रम मृतक द्वारा की गई पहल का परिणाम थे, और वह इन संस्थाओं के दिन–प्रतिदिन के प्रबंधन में सक्रिय रूप से शामिल थे। वास्तव में, मृतक की पत्नी की गवाही बताती है कि अपीलकर्ता

---

10 अमृत भानु शाली बनाम राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड (2012)11 एससीसी 738,पैरा 17।

11 कल्पनाराज बनाम तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम। (2015) 2 एससीसी 764, पैरा 8।

को परिवहन व्यवसाय में उपयोग की जाने वाली बसों को बेचना पड़ा क्योंकि वे मृतक के निधन के कारण वाहनों की देखभाल करने में सक्षम नहीं थे और यहां तक कि निर्यात व्यवसाय भी उसी कारण से बंद हो गया था।

17. मात्र तथ्य यह है कि इन व्यवसायों के उपक्रमों में स्वामित्व का हिस्सा मृतक के नाबालिग बच्चों को उनकी मृत्यु से ठीक पहले या उनकी मृत्यु के बाद आश्रितों को हस्तांतरित कर दिया गया था, यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त औचित्य नहीं है कि इन व्यवसायों का लाभ उनके आश्रितों को मिलता है। इसके विपरीत, यह अभिलेख में आया है कि मृतक इन व्यवसायों के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन में सक्रिय रूप से शामिल थे, उनके बचपन के चरण से अपने व्यवसाय को संचालित करने के लिए विशेष प्रशिक्षण लिए थे और यह कि परीक्षण विवरण व्यवसायों से आय के हिस्से को बड़े करीने से चित्रित करती है। इन तथ्यों की आवश्यकता है कि व्यावसायिक उपक्रमों से पूरी राशि को आय के रूप में माना जाता है। इसी तरह, बैंक के हितों और शेष निवेश से अर्जित राशि को भी आय के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।

18. अपीलकर्ताओं ने पिछले चार वित्तीय वर्षों के लिए परीक्षण विवरण को प्रस्तुत किया है जो ''व्यावसायिक उपक्रमों और अन्य निवेशों से आय'' के तहत राशियों को उजागर करता है जो इस प्रकार है-(यानी) वित्त वर्ष 2000-2001 के लिए रु 8,95,812/-। (द्वितीय) वित्त वर्ष 2001-2002 के लिए रु 10,31,091/-। (तृतीय) वित्त वर्ष 2002-2003 के लिए रु 14,65,060/-। (चतुर्थ) वित्त वर्ष 2003-2004 के लिए रु 9,79,099/- और इन राशियों का औसत रु 10,92,765.50/-, जो रु 10,93,000/- तक पूर्णांक है और वही अपीलकर्ता को प्रदान किया जाता है 'व्यावसायिक उपक्रमों और अन्य निवेशों से आय' के तहत प्राप्त आय के नुकसान के रूप में।

सी. 2.2-गृह संपत्ति और कृषि भूमि से आय का उपचार

19. ऑडिट रिपोर्टों के अनुसार, मृतक अपनी सभी किराये की आय को 'लक्ष्मी कम्प्लेक्स' के नाम से एक वाणिज्यिक भवन में रखे गए हिस्से से प्राप्त करता था और शेष आय उसकी कृषि भूमि से होती थी, जो उसकी मृत्यु पर उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को दी गई थी। परीक्षण विवरण 'गृह संपत्ति और कृषि भूमि से आय' के तहत राशियों को इंगित करती है- (वर्ष 2000-2001 के लिए) रु 6,90,396/- (द्वितीय) वित्त वर्ष 2001-2002 के लिए रु 6,47,127/-। (तृतीय) वित्त वर्ष 2002-2003 के लिए रु 6,14,329/-। (चतुर्थ) वित्त वर्ष 2003-2004 के लिए रु 4,78,240/-। इन राशियों का औसत रु 6,07,523/-।

के राम्या बनाम राष्ट्रीय बीमा कंपनी लि0 और एएनआर।

(सूर्या कांत, जे.,)

20. इस मोड़ पर, हमें **शशिकला बनाम गंगालक्ष्मम्मा** में निर्णय पर ध्यान देना चाहिए ‘‘जिसके तहत इस अदालत ने अधिनियम के तहत मुआवजे का निर्धारण करते हुए गृह की संपत्ति से आय के रूप में अर्जित पूरी राशि में कटौती की। **शशिकला** में निर्णय खंडपीठ के बीच असहमति के कारण एक विभाजित निर्णय था कि क्या मृतक स्व–नियोजित व्यक्ति होने पर मुआवजे के लिए भविष्य की संभावनाओं पर विचार किया जाना है। तदनुसार, इस मामले को **प्रणय सेठी** के साथ टैग किया गया और सुना गया। इस अदालत ने भविष्य की संभावनाओं के बारे में उपर्युक्त मुद्दे को निर्णायक रूप से तय किया था। उसके बाद, मामले को मुआवजे के पुनर्निर्धारण के लिए तीन–न्यायाधीशों की पीठ को वापस भेज दिया गया, जिसमें इस अदालत ने फिर से गृह की संपत्ति से आय के रूप में अर्जित पूरी राशि में कटौती की।

21. अब, इस अदालत के समक्ष एकमात्र मुद्दा यह है कि ‘गृह–संपत्ति और कृषि भूमि से अर्जित आय’ के तहत पूरी राशि में कटौती की जानी चाहिए या नहीं। इस संबंध में, **हरियाणा राज्य बनाम जसबीर कौर** में इस अदालत की टिप्पणियों में हमारे द्वारा निर्देशित हैं। ‘जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि –

8. एक्स–एक्स–एक्स–एक्स

मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी के पास मौजूद जमीन अभी भी उसके पास है। हालांकि एक संभावना है कि दावेदार कृषि की देखभाल के लिए व्यक्तियों को संलग्न करने की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए, आय से वंचित करने के बारे में सामान्य नियम है कि उन मामलों पर सख्ती से लागू नहीं है जहां कृषि आय है। परिचर परिस्थितियों पर विचार करना होगा। (जोर लागू)

हमारी राय में, उपर्युक्त अवलोकन, हालांकि कृषि भूमि के संदर्भ में किए गए हैं, पट्टे पर दी गई संपत्तियों से प्राप्त किराए पर भी लागू होंगे क्योंकि निर्भरता का नुकसान मुख्य रूप से प्रबंधन क्षमता या दक्षता के नुकसान से होता है। विवेक के नियम के रूप में, किसी भी व्यक्ति के प्रबंधकीय कौशल की गणना कुल किराये की आय के 10 से 15 प्रतिशत के बीच होनी चाहिए, लेकिन विशिष्ट परिस्थितियों के मद्देनजर स्वीकार्य सीमा को बढ़ाया जा सकता है। उपयुक्त दृष्टिकोण,

---

12 शशिकला बनाम गंगालक्ष्मम्मा (2015) 9 एससीसी 150।

13 सहमत

14 प्रणय सेठी (एन 1)।

15 ‘एस शशिकला बनाम गंगालक्ष्मम्मा (2015) की सिविल अपील संख्या 2836,14 फरवरी 2019)।

16 हरियाणा राज्य बनाम जसवीर कौर (2003) 7 एससीसी 484।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट (2022), 18 एस. सी. आर.

इसलिए, किसी भी अन्य तथ्यात्मक विचारों के साथ प्रबंधकीय कौशल के मूल्य का निर्धारण करना है।

22. त्तकाल मामले में, अभिलेख पर प्रस्तुत दस्तावेज 'लक्ष्मी कम्प्लेक्स' के संबंध में दो मुख्य पहलुओं को इंगित करते हैं, जो मृतक के लिए किराये की आय का एकमात्र स्रोत था। जिस भूमि पर वाणिज्यिक भवन स्थित है, उससे संबंधित विभाजन विलेख इस बात पर प्रकाश डालता है कि भवन का निर्माण मृतक और उसके सहयोगियों द्वारा किए गए संयुक्त निवेश के कारण किया गया था। इसके अलावा, किराये के अभिलेख के अनुसार, 'लक्ष्मी कम्प्लेक्स' को दस से अधिक विभिन्न वाणिज्यिक पात्रता के लिए पट्टे पर दिया गया था। इसलिए, यह ध्यान में रखते हुए कि–पहला, किराये की राशि जिसे कटौती किए जाने की मांग की जाती है, निवेश के चरित्र का हिस्सा है और दूसरा, कि उक्त भवन की देखरेख के लिए आवश्यक प्रबंधकीय कौशल के लिए व्यापार समुदाय के बीच परिष्कृत अनुबंध प्रबंधन कौशल और सद्भावना की आवश्यकता होगी, यह आवश्यक है कि हम उच्च पक्ष पर मृतक के प्रबंधकीय कौशल के मूल्य का निर्धारण करें।

23. तदनुसार, हम मृतक के प्रबंधकीय कौशल के लिए राशि के रूप में 2,50,000/– रुपये देना उचित समझते हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त राशि में मृतक की कृषि भूमि के संबंध में प्रबंधकीय कौशल के लिए राशि भी शामिल होगी। यह आगे स्पष्ट किया गया है कि शेष राशि जो हमारे द्वारा कटौती की गई है, उसमें वह कर शामिल है जिसे **प्रणय सेठी** के निर्णय के आलोक में काटा जाना है!

डी। निष्कर्ष

24. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, मृतक की आय की गणना दो भागों (रु 10,93,000/– + रु 2,50,000/–) के तहत दी गई राशि को जोड़कर की जाती है, जो रु 13,43,000/– तक आती है। **प्रणय सेठी** के आलोक में, ''चालीस प्रतिशत आय को भविष्य की संभावनाओं की ओर जोड़ना होगा, जो 18,80,200/– रुपये तक आएगा। **सरला वर्मा** के अनुसार व्यक्तिगत खर्चों के लिए एक–चौथाई कटौती करने के बाद,'' शुद्ध राशि प्रति वर्ष 14,10,150/– रुपये आती है। 16 के गुणक को लागू करना, मृतक के उत्तराधिकारियों का कुल नुकसान मृतक की आय के आधार पर गणना 2,25,62,400/– रुपये है। हम **प्रणय सेठी और सतिंदर कौर** के निर्णयों के अनुसार शेष पारंपरिक प्रमुखों के तहत मुआवजा देते हैं।

---

17 प्रणय सेठी (एन 1), पैरा 59.3।

18 प्रणय सेठी (एन 1), पैरा 59.3।

19 सरला वर्मा बनाम डीटीसी (2009) 6 एससीसी 121।

20 प्रणय सेठी (एन 1), पैरा 59.8।

21 यूनाइटेड बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम सतिंदर कौर (2021) 11 एससीसी 780, पैरा (एस) 33–37।

के राम्या बनाम राष्ट्रीय बीमा कंपनी लि0 और एएनआर।

(सूर्या कांत, जे.,)

25. इसलिए, मुआवजा निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है–1।

क्रमांक	**मुख्य**	जमा राषि
1	**आय का हानि= [आय+भविष्य की संभावनाओं @ 40%] - 1/4 की कटौती) x गुणांक**	**रु 2,25,62,400/ -**
2	**अंतिम संस्कार व्यय**	**रु 15,000/ -**
3	**संपत्ति की हानि व्यय**	**रु 15,000/ -**
4	**पति–पत्नी से संबंधित क्षति व्यय**	**रु 40,000/ -**
5	**अभिभावक के निधन से संबंधित क्षति व्यय**	**रु 40,000/ -x 2 = रु 80,000/ -**
कुल क्षतिपूर्ति (1+2+3+4+5)		**रु 2,27,12,400/ -**

26. हम यह भी निर्देश देते हैं कि प्रति वर्ष 7.5% की दर से ब्याज, दावा याचिका दायर करने की तारीख से प्राप्ति की तारीख तक पूर्वोक्त राशि पर देय होगी। बढ़ी हुई राशि का भुगतान आज से तीन महीने के भीतर दावेदारों को किया जाएगा। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस अदालत द्वारा दिए गए बढ़े हुए मुआवजे को जमा करते समय पहले से भुगतान या जमा की गई राशि को समायोजित किया जाएगा।

27. इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा अपील के तहत दिए निर्णय को रद्द किया जाता है और अपीलकर्ताओं को ऊपर निर्धारित मुआवजे के रूप में बढ़ाया जाता है।

28. अपील उपरोक्त शर्तों में किसी भी लंबित आवेदन के साथ निपटाया गया है।

निधि जैन और अनुराग भास्कर अपील का निपटारा किया।

सुनील दत्त, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हाजीपुर (वैशाली) द्वारा जॉचा गया।